<u>संख्या- 1146/2026/413/22-2-2026-17(254)/2026</u>

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2</u> <u>लखनऊ: दिनांक 01 सितम्बर, 2026</u>

विषय:- जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विनोद कुमारी उर्फ रूपरानी पत्नी श्री रामलखन सिंह, निवासिनी जनपद-सीतापुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विनोद कुमारी उर्फ रूपरानी पत्नी श्री रामलखन सिंह, ग्राम-गुडुरूवा, थाना-रेउसा, जनपद-सीतापुर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 20.06.2017 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर श्रीमती सरिता की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-480/2017 में धारा-302/34, 498ए आई०पी०सी०, 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02. सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 20.03.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा 02 वर्ष, 01 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 31.08.2025 तक 61 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती विनोद कुमारी उर्फ रूपरानी पत्नी श्री रामलखन सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.08.2025 तक महिला बन्दी की 61 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 08 माह 27 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 01 माह 11 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी के स्वास्थ्य की दशा स्वास्थ्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विनोद कुमारी उर्फ रूपरानी (बन्दी संख्या-125/2024) पत्नी श्री

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

रामलखन सिंह, निवासिनी जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 1146/2026/413(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।